बदले में दिया गया था एवं तब से रिविजनकर्त्ता चौकीदार है तथा उक्त चौकीदारी जागीर जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार होकर कृषि कार्य करते आ रहे है। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता अपने क्रम के अंतिम चौकीदार है, जिनको चौकीदारी जागीर जमीन उनके सेवा के लिए दिया गया था। इसलिए चौकीदारी जागीर जमीन पर रिविजनकर्त्ता का ही हक एवं अधिकार बनता है। उक्त चौकीदारी जागीर जमीन पर सुकदेव हाजरा के अन्य उत्तराधिकारी का कोई हक एवं अधिकार नहीं है तथा उक्त जमीन पर उनलोगों का दखल कब्जा भी नहीं है। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता का उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखल कब्जा होने के कारण रिविजनकर्त्ता ने उक्त जमीन का नामांतरण के लिए अंचल अधिकारी, पथरगामा के समक्ष आवेदन दाखिल किया था। अंचल अधिकारी, पथरगामा ने मुटेशन केश नं0–10/16–17 संधारित कर नामांतरण की उचित प्रक्रिया अपनाकर रिविजनकर्त्ता के नाम से नामांतरण किया है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने उक्त नामांतरण के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में मुटेशन अपील वाद सं0–8/2020–21, जो 03 वर्ष 03 माह 17 दिन बिलम्ब से दायर किया था। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने अवैध तरीके से अपने आदेश दिनांक–14.09.2021 के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामांतरण आदेश को रद्द किया है। चूँकि विचाराधीन जमीन रिविजनकर्त्ता के चौकीदारी जागीर जमीन है एवं उक्त जमीन का बँटवारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अंचल अधिकारी, पथरगामा के मुटेशन केश नं0–10/16–17 में दिनांक–14.05.2016 के पारित आदेश को यथावत रखने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–हरगामा नं0–66, जमाबंदी सं0–37 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में वंशी दुसाध चौकीदार के नाम से चौकीदारी जागीर के रूप में दर्ज है। खतियानी चौकीदार वंशी दुसाध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पंचकौड़ी हाजरा मौजा–कपेटा का चौकीदार नियुक्त हुए एवं उक्त चौकीदारी जागीर पर दखलकार होकर कृषि कार्य करने लगे। पंचकौड़ी हाजरा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सुकदेव हाजरा चौकीदार नियुक्त हुए एवं चौकीदारी जागीर पर दखलकार होकर कृषि कार्य करने लगे। उनका आगे कथन है कि उक्त

जमीन लगातार सुकदेव हाजरा एवं उनके वंशज के दखल में रहा। बाद में सुकदेव हाजरा ने उक्त जमीन का लगान निर्धारण के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में लगान निर्धारण वाद सं0–06/85–86 दायर किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने उक्त जमीन का लगान निर्धारण सुकदेव हाजरा के नाम से किया एवं उस समय से उक्त जमीन का प्रकृति चौकीदारी चाकरान की जमीन से परिवर्तित होकर जमाबंदी जमीन हो गया है। अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा पंजी–II में भी प्रविष्टि की गयी है एवं सुकदेव हाजरा के नाम से लगान रसीद भी निर्गत किया गया। इस प्रकार सुकदेव हाजरा ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 6 के तहत उक्त जमीन पर दखलकार के आधार पर हक प्राप्त कर लिया है। सुकदेव हाजरा की मृत्यु के बाद उनके छः पुत्र क्रमशः कामेश्वर दास, भूदेव पासवान(उत्तरवादी सं0–06), सिकन्दर पासवान, महेन्द्र पासवान, प्रकाश पासवान(उत्तरवादी सं0–13), सत्यनारायण पासवान एवं पत्नि मो0 कलावती (उत्तरवादी सं0–14) को उक्त जमीन पर संयुक्त रूप से विरासत में प्राप्त हुआ एवं संयुक्त रूप से लगान का भुगतान कर उस पर संयुक्त रूप से दखलकार हुए। बाद में सुकदेव हाजरा के वंशजों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त परिवार में रहने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उक्त जमीन का बँटवारा के लिए सभी सहमत हुए एवं आपसी सहमति से पंचनामा के माध्यम से दिनांक–25.01.1998 को सभी हिस्सेदारों ने आपसी बँटवारा कर लिया एवं उसी के अनुरूप जमीन पर दखलकार हुए एवं कृषि कार्य करने लगे। इस प्रकार सुकदेव हाजरा से दोनों पक्ष को उक्त जमीन प्राप्त हुआ है। लेकिन रिविजनकर्त्ता ने अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामांतरण वाद सं0–10/16–17 के आदेश दिनांक–14.05.16 के द्वारा अपने नाम से नामांतरण करा लिया था। जानकारी होने पर उत्तरवादी की ओर से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में मुटेशन अपील वाद सं0–8/20–21 दायर किया था। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने तथ्यों के आधार पर नियम संगत आदेश पारित किया है। क्योंकि रिविजनकर्त्ता ने उक्त नामांतरण मामले में उक्त जमीन पर अपने अधिकार के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। रिविजनकर्त्ता का यह दावा कि उनको चौकीदार के रूप में उनकी सेवा के बदले चौकीदारी जागीर जमीन दिया था, बिल्कुल ही निराधार है। चूँकि जमीन पर रिविजनकर्त्ता का हक नहीं है। बल्कि उक्त जमीन पर दोनों पक्ष का हक है। इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.05 12:43:37 +05:30
Location: 192.168.1.37